



प्रेस नोट

थाना बाबूगढ़

दिनांक 29.07.2021

थाना बाबूगढ़ पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 343/21 धारा 328/376/509 भादवि, 67ए आईटी एक्ट व 3(2)v एससी/एसटी एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से वीडियो अपलोड करने में प्रयुक्त मोबाइल फोन बरामद ।

कार्यवाही:-

हापुड़ पुलिस द्वारा जनपद में अपराध की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बाबूगढ़ पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 343/21 धारा 328/376/509 भादवि, 67ए आईटी एक्ट व 3(2)v एससी/एसटी एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से वीडियो अपलोड करने में प्रयुक्त मोबाइल फोन बरामद हुआ है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।



गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

पिन्टू पुत्र नारायण सिंह निवासी ग्राम हबिशपुर विगास थाना बाबूगढ़ जनपद हापुड़ ।

बरामदगी का विवरण:-

एक मोबाइल फोन ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

- 1- उ0नि0 वासुदेव सिंह थाना बाबूगढ़ जनपद हापुड़ ।
- 2- है0का0 497 नवनीत कुमार थाना बाबूगढ़ जनपद हापुड़ ।